निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 114 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर के माह 01/2018 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री आलोक चौधरी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23/01/2019 से 02/02/2019 तक श्री ऐ॰ के॰ जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर. एन. यादव , राजेश डोभाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री नन्दन भण्डारी, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 18/01/2018 से 29/01/2018 तक श्री अमित कुमार सहायक महालेखाकार के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सड़कों एवं पुलों का निर्माण एवं रखरखाव ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	738.85	738.85	3112.62	3112.62			-	-
2017-18	-	-	769.25	769.25	2664.49	2664.69			-	-
2018-19	-	-	808.98	808.98	2567.60	2567.60			-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

4. इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव,
2. प्रमुख अभियंता,
3. मुख्य अभियंता,
4. अधीक्षण अभियंता,
5. अधिशासी अभियंता,

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जून 2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जैतपुर बारखेड़ी मार्ग का पुनः निर्माण का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जिस कार्य पर अधिकतम व्यय हुआ, के आधार पर किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक 26/12/18 से 29/12/18 का निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तथा 07/2018 तक की गई।

7. फार्म-51: माह 12/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः-

भाग प्रथम ₹ 3465434/-

भाग द्वितीय ₹ 185470/-

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 12/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 799418/-
(ख) सामग्री क्रय -- शून्य --
(ग) नगद परिशोधन --शून्य--
(घ) निक्षेप ₹ 49465057/-
(ङ) भण्डार ₹ 8535831/-

भाग-II (ब)

प्रस्तर (1):- अधिक मात्रा[1] (279.29M^3) में BC बिछाये जाने के फलस्वरूप व्यायाधिक्य:- `28.71 लाख ।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 101/ III (2) /15-02 (प्रा0आ0) / **2015** दिनांक **21** जनवरी 2015 के द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में विधानसभा बाजपुर के काशीपुर-ढकिया-खरमाशा मोटर मार्ग (लम्बाई-14.965किमी) के पुनर्निर्माण कार्य हेतु `**2971.90** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लिए `**2971.90** लाख की प्राविधिक स्वीकृति मार्च 2015 में मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के द्वारा प्रदान की गयी थी। प्रतिवेदन के अनुसार जीएसबी का कार्य तीन लेयर में, **WMM** का कार्य 0.125 मीटर के दो लेयर में तथा **DBM** का कार्य 0.07 मीटर (प्रथम सतह) एवं 0.065 मीटर (ऊपरी सतह) के दो लेयर तथा **BC** का कार्य 0.040 मीटर के एक लेयर में। कार्य के अंतिम देयक के अनुसार कार्य `**2964.04** लाख के व्यय के बाद सितम्बर 2016 में पूर्ण हो चुका है।

अभिलेखो के जांच से यह ज्ञात होता है कि **WMM** की मात्रा 20830.35 घनमीटर थी जो कि **0.250** मीटर के मोटाई में 83321.24[2] वर्गमीटर में बिछाई गयी थी। जैसा कि विदित है कि **WMM** की सतह पर ही डीबीएम और बीसी बिछाई जाती है परंतु यह पाया गया था कि **WMM** की सतह पर (**DBM-** प्रथम सतह के पहले) बिछाई गई **Prime-coat** एवं **Tack-coat** की मात्रा पृथक रूप से क्रमश: 90003.48 वर्गमीटर थी जबकि **DBM-** ऊपरी सतह के पहले एवं **BC** के सतह के पहले **Tack-coat** की मात्रा पृथक रूप से क्रमश: 86599.67 वर्गमीटर थी जबकि जैसा विदित है कि **WMM** के सतह का क्षेत्रफल 83321.40 वर्गमीटर आती है और इस आधार पर **DBM-** प्रथम सतह के पहले **Prime-coat** एवं **Tack-coat** पृथक रूप से 83321.40 वर्गमीटर के सापेक्ष 90003.48 वर्गमीटर में तथा **DBM-** ऊपरी सतह के पहले एवं **BC** के सतह के पहले **Tack-coat** 86659.67 वर्गमीटर में बिछाई गयी थी। इस प्रकार, **Prime-coat** एवं **Tack-coat**

---

[1] आधिक्य =(वास्तविक मात्रा -WMM का क्षेत्रफल x BC की मोटाई)x दर प्रति m^3 = 3612.15 m^3 - 83321.40वर्गमीटर x 0.040मीटर) x`10280.00 / $m^3$=(3612.15 $m^3$ - 3312.86 $m^3$) x `10280.00 /m^3= 279.29 m^3x `10280.00 / $m^3$= `28,71,101.20 or `28. 71 लाख

[2] क्षेत्रफल =मात्रा /मोटाई =20830.35 घनमीटर /0.250 मीटर =83321.40वर्गमीटर

क्रमश: 6682.08 वर्गमीटर तथा 13238.62 वर्गमीटर (6682.08 + 3278.27 +3278.27) में अधिक बिछाई गयी थी जिसका विवरण नीचे है। ।

मद	**वास्तविक मात्रा**	WMM **के अनुसार मात्रा**	**अंतर** (M^2)
DBM (प्रथम सतह के पहले)- **Prime-coat**	90003.48 M^2	83321.40 M^2	6682.08 M^2
DBM (प्रथम सतह के पहले)- **Tack-coat**	90003.48 M^2	83321.40 M^2	6682.08 M^2
DBM (ऊपरी सतह के पहले)- **Tack-coat**	86599.67 M^2	83321.40 M^2	3278.27 M^2
BC के सतह के पहले- **Tack-coat**	86599.67	83321.40 M^2	3278.27 M^2

अत: अधिक मात्रा में **Prime-coat** एवं **Tack-coat** के कारण `**374026.41** (6682.08 वर्गमीटर **x** `32.20= `215162.97 + 13238.62 वर्गमीटर **x** `12.00 = `**1,58,863.44**) का अधिक व्यय हुआ था।

पुनः यह भी पाया गया था कि 83321.40 वर्गमीटर के **WMM** सतह के सापेक्ष 0.13**5** मीटर (0.065 मीटर + 0.070 मीटर के दो लेयर में) के मोटाई में **DBM** बिछाये जाने पर, **DBM** की मात्रा 11248.40 घनमीटर (83321.40 वर्गमीटर **x** 0.065 मीटर + 83321.40 वर्गमीटर **x** 0.070 मीटर= 5415.90 घनमीटर + 5832.50 घनमीटर= 11248.40 घनमीटर) होनी चाहिए थी परंतु इसकी वास्तविक मात्रा 11525.55 घनमीटर है। इस प्रकार, 277.15 घनमीटर जो कि 2.46 प्रतिशत अधिक थी। इसके साथ ही, 83321.40 वर्गमीटर के **WMM** सतह के सापेक्ष 0.040 मीटर के मोटाई में **BC** बिछाये जाने पर, **BC** की मात्रा 3332.86 घनमीटर (83321.40 वर्गमीटर **x** 0.040 मीटर=3332.856) होनी चाहिए थी परंतु इसके सापेक्ष 3612.15 घनमीटर में **BC** बिछाया गया था जिसके कारण 279.29 घनमीटर अधिक **BC** बिछाया गया था और फलस्वरूप, `**28,71,101.20** (279.29 घनमीटर **x** `**10280.00** प्रति वर्ग मीटर) की राशि अधिक व्यय हुई थी।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर, खंड द्वारा यह अवगत कराया गया था कि मार्ग की मोटाई बढ़ने के कारण मार्ग की ऊंचाई एवं **crust** काफी बढ़ गयी थी परिणांत: आंतरिक नीचे हो गए थे और ढाल मिलाने हेतु आवश्यकतानुसार वांछित मोटाई में डाला गया था इसके सुधार के लिए रैम्प का निर्माण किया गया था। **WMM surface** के अतिरिक्त लम्बाई में **DBM** का कार्य कराया गया था जिसके कारण **WMM** की मात्रा को 25**cm** मान कर गणना से प्राप्त क्षेत्रफल व वास्तविक क्षेत्रफल में भिन्नता आ रही है। पुनः **BC** के आधिक्य के परिपेक्ष्य में भी यह बताया गया कि मार्ग की ऊंचाई एवं **crust** काफी बढ़ जाने के रैम्प बनाए गए थे जिसके कारण चौराहो एवं तिराहो पर **BC** अतिरिक्त चौड़ाई में किए गए थे।

खंड का यह कहना कि आंतरिक नीचे हो जाने के कारण और ढाल मिलाने हेतु आवश्यकतानुसार वांछित मोटाई में **WMM, DBM** एवं **BC** के द्वारा रैम्प का निर्माण किया गया था और इसके कारण **BC** की मात्रा बढ़ गयी थी, लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि रैम्प के निर्माण से आंतरिक मार्ग की सतह मुख्य मार्ग के सतह के बराबर नहीं हो सकती है।

अत: प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर (2) :- `36.22 लाख GST जिसका भुगतान संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर /जीएसटी विभाग को नहीं किया जाना।

किसी कार्य के देयक के द्वारा ठेकेदार को जीएसटी के रूप में भुगतान की गयी राशि की सूचना जनपद के संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित जाना चाहिए ताकि जीएसटी के रूप में ठेकेदार को भुगतान की गयी राशि को सरकार के खजाने में जमा / समय से जमा किया जाना की सुनिश्चिता किया जा सके। सरकार के खाते समय से जमा करवाने के सुनिश्चिता के अनुश्रवण की जिम्मेदारी संबन्धित लोक निर्माण खंड की होती है।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 1144/ III (2) /16-64 (एम0एल0ए0) / 2015 टी0सी0 दिनांक 22 मार्च 2016 के द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में विधानसभा बाजपुर के जैतपुर बरखेड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई-4.5 किमी) के पुनर्निर्माण कार्य हेतु `716.98 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लिए `713.93 लाख की प्राविधिक स्वीकृति मई 2016 में मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के द्वारा प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लिए अनुबंध का गठन 14 सितम्बर 2016 को किया गया था। कार्य के प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथि क्रमश: 14 सितम्बर 2016 एवं 13 सितम्बर 2017 थी। कार्य अनुबंधित राशि `6.15 करोड़ के सापेक्ष `6.91 करोड़ में पूर्ण हुआ था। कार्य दो माह की देरी से 30 नवम्बर 2017 को पूर्ण हुआ था। इस कार्य के अंतिम देयक से ज्ञात होता है कि इस देयक के द्वारा जीएसटी के रूप में ठेकेदार को `36,22,261.00 का भुगतान किया गया था परंतु यह ज्ञात नहीं होता है कि उक्त राशि को सरकार के खाते में प्रेषित किया गया या नहीं।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बताया गया कि सरकारी खाते में जीएसटी को प्रेषित किए जाने के संबंध में जीएसटी कार्यालय को सूचना दी जाती है और इस बाबत ठेकेदार को भी लिखित और मौखिक रूप से निर्देशित किया जाता है परंतु खंड द्वारा ना ही जीएसटी कार्यालय और ना ही ठेकेदार को ही निर्देशित पत्र की प्रति उपलब्ध कराई गयी थी।
वांछित पत्रो की प्रति लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इस संबंध खंड द्वारा पर्याप्त अनुश्रवण किया गया था कि जीएसटी के रूप में भुगतान की गयी राशि सरकारी खाते में प्रेषित किया गया था।
अत: सरकारी खाते में राजस्व यथा जी0एस0टी0 के भुगतान जिसके प्रेषण से संबन्धित होने के कारण प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है क्योंकि विभाग का उत्तर मान्य नहीं है।

भाग - 03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
39/1996-97	01	2, 3	-
68/1997-98	01	-	-
34/1998-99	-	1, 2, 3	-
50/1999-00	-	1, 2	-
59/2000-01	1, 2	3 (D)	-
76/2005-06	-	1	-
07/2009-10	3	-	-
46/2013-14	-	1	-
80/2017-18	-	-	1, 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

खण्ड ने उत्तर में बताया कि वर्ष 2003-04 से पूर्व के प्रस्तर पर उच्चाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाना है अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	अवधि
1.	श्री यु॰ सी॰ बहुगुणा	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक ।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबध्द रहे।**

1.	श्री दीवान सिंह टोंकभाल	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II